बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–03.07.2024 को विभागीय योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही–

सर्वप्रथम समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं का स्वागत किया गया एवं विभागीय योजनाओं यथा–"हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम एवं "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" की समीक्षा की गई।

"हर खेत तक सिंचाई का पानी" (सतही योजनाएँ):–

1. विगत प्रत्येक सप्ताह किये जा रहे समीक्षा बैठक में निदेशित किया जा रहा है कि प्राथमिकता के आधार पर मॉनसून प्रारंभ होने के पूर्व सभी चिन्हित योजनाओं का Pre Level पूर्ण करना अति आवश्यक है। साथ हीं 15 अगस्त, 2024 तक निर्धारित लक्ष्य (लगभग 3500 से अधिक योजना) के अनुसार योजनाओं का डी0पी0आर0 भी अवश्य पूर्ण कर ली जाय।

2. विगत सप्ताह 2,796 योजनाओं का डी0पी0आर0 बनना था, परंतु मनरेगा या अन्य विभाग द्वारा कार्य हो जाने एवं अन्य कारणों से अब मात्र 2,087 योजनाएं शेष रह गई है। इतनी बड़ी मात्रा में योजनाओं की संख्या में कमी होने पर संदेह व्यक्त किया गया। शत प्रतिशत सुनिश्चित होकर ही प्रतिवेदित करें। Drop होने के लिए प्रस्ताव की जाने वाली योजनाओं की सैंपल जाँच मुख्यालय से दल भेज कर करायी जाएगी।

3. मॉनसून प्रारंभ होने के पूर्व योजनाओं का Pre Level पूर्ण करने एवं योजनाओं के डी0पी0आर0 तैयार करने में तेजी लाने हेतु मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने–अपने जिले के कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, बिहार को पंचायती राज विभाग/मनरेगा से तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता को अधिकाधिक संख्या में उपलब्ध करायें। बावजूद इसके अबतक कैमूर, औरंगाबाद द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति नहीं किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं निदेश दिया गया कि अविलंब तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति की दिशा में आवश्यक कारवाई करते हुए सर्वेक्षण (Pre-Level) कार्य में तेजी लायें।

4. जहाँ तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है वहाँ के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अविलंब कर्मचारियों को On Ground Training दी जाय, जिससे कार्य में प्रगति लाया जा सके।

5. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कैमूर द्वारा इस सप्ताह डी0पी0आर0 निर्माण में शून्य प्रगति दर्ज किया गया, जिसपर काफी असंतोष व्यक्त किया गया। संयुक्त सचिव को स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेश दिया गया कि यदि इनके प्रति पूर्व में भी स्पष्टीकरण पूछा जा चुका है, तो अब इनपर आरोप–पत्र गठित करने की कारवाई की जाए।

6. DPR Performance प्रतिशत के अनुसार Red Zone (30 % से कम) के जिले 01 हैं। Green Zone (75 % से अधिक) के जिले 10 हैं।

"मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना":–

7. अभी तक 1023 LPC निर्गत हुए हैं। Red Zone (10 % से कम) के जिले 15 हैं। Green Zone (30 % से अधिक) के जिले 09 हैं। कार्यपालक अभियंता, मधुबनी द्वारा बताया गया कि जिस अंचल में ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं वहाँ 3–3 शिविर लगाकर LPC निर्गत किया जा रहा है। अबतक इस जिला में 117 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 17 LPC निर्गत किया गया है। इतने कम प्रगति होने पर खेद प्रकट किया गया। कार्यपालक अभियंता, मधुबनी द्वारा बताया गया कि कार्यालय कर्मियों द्वारा कृषकों को मोबाईल पर LPC निर्गत करने हेतु Call किया जा रहा है लेकिन कृषक इसमें रूचि नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, मधुबनी को निर्देश दिया गया कि जो कर्मी द्वारा कृषकों को Call किया जा रहा है उनसे होने वाली बात–चीत के क्रम में इस आशय की विधिवत सूचना देते हुए तथा सहमति लेकर बात–चीत का Call Record कर विभाग को भेजें। यदि वे सहमति न दे तो फोन करने वाले कर्मी द्वारा रिपोर्ट के रूप में कॉलवार प्रतिवेदन दिया जाए।

8. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विगत सप्ताह किये गये बैठक में यह निदेश दिया गया कि "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" के तहत निजी नलकूप का अधिष्ठापन माह दिसंबर, 2024 तक करना है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि अंचलवार शिविर लगाकर भू–धारकता प्रमाण–पत्र (LPC) एवं जाति प्रमाण–पत्र सभी आवेदकों हेतु अविलंब निर्गत कराया जाए। ?

9. विगत सप्ताह सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया था कि प्रत्येक अंचलवार शिविर का आयोजन करते हुए प्रत्येक दिन के प्रोग्रेस रिपोर्ट से विभाग को पूर्ण तथ्यों यथा–शिविर का आयोजन कब किया गया, लाभुकों की उपस्थिति की संख्या, भू–धारकता प्रमाण–पत्र (LPC) निर्गत करने की संख्या, स्थलों के सर्वेक्षण की संख्या एवं अन्य जो अनिवार्य तथ्य हों, के साथ अवगत करायें।

10. अंचलवार शिविर के आयोजन में लाभ, प्राप्त करने हेतु किसानों को सूचना देने के लिए अपर सचिव महोदया को विज्ञापन जारी करने का निदेश दिया गया।

11. प्रभारी नलकूप कोषांग को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अन्तर्गत पूर्व से सर्वेक्षित स्थलों में प्रत्येक जिले से जो 10 हजार किसानों की सहमति प्राप्त हुए हैं उसमें सभी लाभुकों का मोबाईल नम्बर दिया गया है, उसका एक विहित प्रपत्र बनाकर अपर सचिव को देने का निदेश दिया गया तथा उसमें प्रत्येक जिले के 10 प्रतिशत लाभुकों का मोबाईल नम्बर Randomly दिया जाए तथा पूरे बिहार में 1000 लाभुकों को विभागीय स्तर पर 20 कर्मी लगाकर सभी को अपने मोबाईल से सभी लाभुकों को Call करेंगे तथा उसकी Report करेंगे। जिस कर्मी द्वारा Call किया जायेगा, उसे प्रत्येक 50 Call पर 100/– रू० मोबाईल खर्च विभाग वहन करेगा।

12. लघु सिंचाई प्रमण्डल, मोतिहारी में विगत सप्ताह से अबतक शून्य प्रगति दर्ज होने के कारण इनसे स्पष्टीकरण पूछने हेतु संयुक्त सचिव को निदेश दिया गया।

13. लघु सिंचाई प्रमण्डल, सारण, जमुई, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद, दरभंगा एवं अन्य को निदेश दिया गया कि "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" के तहत निजी नलकूप का अधिष्ठापन से संबंधित कार्य में तेजी लायें।

14. शिविर के आयोजन के दौरान जिन आवेदकों द्वारा आवेदन समर्पित किया जाता है, उनका 02 दिनों के अंदर भू–धारकता प्रमाण–पत्र (LPC) निर्गत कराया जाए एवं जल्द–से–जल्द कार्य की स्वीकृति दी जाए।
अगले सप्ताह से कार्य की स्वीकृति पर विस्तारपूर्वक समीक्षा की जायगी।

अन्यान्यः–

15. विगत सप्ताह कुछ अभियंताओं का विभाग द्वारा स्थानांतरण किया गया। इस संबंध में सूचित किया गया कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी जिनका स्थानांतरण हो चुका है, अविलंब नवपदस्थापन हेतु विरमित करें एवं नव पदस्थापन पर योगदान की सूचना से विभाग को अवगत करायें।

16. सभी उपस्थित पदाधिकारियों को सूचित किया गया कि विगत सप्ताह हुए स्थानांतरण के उपरांत शेष प्रमण्डलों में जल्द ही कार्यपालक अभियंता के पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायगी। साथ ही प्रमण्डलों में आवश्यकतानुसार कनीय अभिंयता एवं सहायक अभियंता का भी पदस्थापन का कार्य किया जाएगा।
17. TA की Outsourcing agency के साथ 11:00 AM पर 04.07.2024 को अनुश्रवण बैठक की जाएगी।
18. चूंकि उच्च स्तरीय निदेश के क्रम में हर खेत तक सिंचाई का पानी के लक्ष्य प्राप्ति हेतु बहुत बड़ी संख्या में इस वर्ष सतही, योजनाओं का सूत्रण और कार्यान्वयन किया जाना है। पिछले तीन वित्तीय वर्षवार देखा जाय तो इस वर्ष लगभग दस गुना

योजनाओं का DPR/ AA/ TS / Tender/ Fund Release होना है। केवल एक अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) तथा अनुश्रवण कोषांग तथा एक हीं संयुक्त सचिव के स्तर से लगभग 3000 योजनाओं के संबंध में उपरोक्त कार्रवाई तकनीकी/प्रशासनिक दृष्टिकोण से कदापि उचित नहीं है।

अतः विभाग में उपलब्ध प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी/कर्मियों को लेकर इस कार्य हेतु विशेष कोषागों का गठन करना तथा उन्हें उचित संख्या में प्रमंडल आंवटित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सचिव महोदय विधिवत प्रस्ताव तैयार करेंगे तथा उचित स्तर पर निर्णय हेतु कार्यपालिका नियमावली के अनुसार उपस्थापित करेंगे।

19. कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख के रिक्त पदों पर भरने हेतु अन्य विभागों से मांग की जाए। शेष outsourcing हेतु संलेख तैयार किया जाए।

20. LPC Online के पश्चात् time delay का issue NIC के साथ समन्वय कर resolve करें।

21. Visibility to Executive Engineer of LPCs being uploaded का issue भी NIC के साथ समन्वय कर resolve करें।

22. विकास आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ प्रत्येक सप्ताहांत की प्रगति की स्थिति का note अनुश्रवण कोषांग प्रत्येक सप्ताहांत में हाथों हाथ उपस्थापित करे।

23. ऊर्जा विभाग को प्रत्येक सप्ताह नये Sanction योजनाओं की सूची तथा सार्वजनिक/राजकीय नलकूप के विद्युत दोष की सूची, अपर सचिव, भेजना सुनिश्चित करें। वहाँ से Weekly basis पर प्रगति प्रतिवेदन भी प्राप्त किया जाए।

24. Drop होने वाली सतही योजनाओं के विरूद्ध मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लक्ष्य पुनर्निधारण हेतु अपर सचिव आवश्यक कार्रवाई करें।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 855 (मो) /पटना, दिनांकः– 5.7.2024

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

संतोष 5/7/24
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।